संख्या-05/2024/707646/2024/63-1002(009)/4/2024

प्रेषक,

सत्येन्द्र प्रताप सिंह
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
उ0प्र0, कानपुर।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अनुभाग — लखनऊ: दिनांकः01 अगस्त, 2024

विषय:- "पी0एम0 मित्र पार्क के संचालन से सम्बन्धित विविध व्यय हेतु योजना" (राजस्व लेखा) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रावधानित बजट रू0 1000.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 250.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-150/ह०क०-नियोजन/2024-25 दिनांक 30 मई ,2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा "पी0एम0 मित्र पार्क के संचालन से सम्बन्धित विविध व्यय हेतु योजना" (राजस्व लेखा) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रावधानित बजट रू0 1000.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 250.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में "पी0एम0 मित्र पार्क के संचालन से सम्बन्धित विविध व्यय हेतु योजना" (राजस्व लेखा) के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रावधानित बजट रू0 1000.00 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0 250.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृत किया गया है।

(2) आकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 कानपुर द्वारा की जायेगी।

(3) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्रधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अस्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक है, तो उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

(4) स्वीकृत धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियमसंगत व्यय व स्वीकृत धनराशि के निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 कानपुर का होगा।

(6) किसी परिस्थिति में धनराशि को पूर्व से आहरित करके एकमुश्त बैंक खाते / अन्य किसी खाते में नहीं रखा जायेगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है, जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज के नियमानुसार समायोजन/निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने का दायित्व आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 कानपुर का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(7) धनराशि के आहरण एवं व्यय के सम्बन्ध में मितव्ययिता सम्बन्धी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों एवं वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 कानपुर का होगा।

4- प्रस्तर-2 में स्वीकृत की जा रही धनराशि रू0 धनराशि रू0 2.50 करोड (रूपये दो करोड़ पचास लाख) मात्र को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-6 के अधीन लेखाशीर्षक-4851-ग्राम तथा लघु उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय-103-हथकरघा उद्योग-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन) 04-पी0एम0 मित्र पार्क के संचालन से सम्बन्धित विविध व्यय के नामें डाला जायेगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र यथासमय उपलब्ध कराया जायेगा।

5- उक्त धनराशि का व्यय करने में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में उल्लिखित शर्तो का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-6-64-X-2024-25 दिनांक: 29-07-2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(सत्येन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

संख्या- 05/2024/707646/2024/63-1002(009)/4/2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर नगर।
3- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
4- अनु सचिव, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
5- गार्ड पत्रावली।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र प्रताप सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।